संख्याः 166/XXVII(7)/18–50(14)/2017

सेवा में,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2019

विषयः– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार/राज्य सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

अखिल भारतीय सेवा (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1977 के निम्न प्राविधान की ओर मुझे आपका ध्यानाकर्षण करने का निदेश हुआ हैः–

"राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तों एवं दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है परन्तु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता की धनराशि किसी भी समय किसी भी दशा में उन दरों से कम नहीं होगी जो कि उस स्टेशन पर तैनात भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों का अनुमन्य होगी।"

2. वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 15/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाले श्रेणी "बी–2" के शहरी क्षेत्रों, श्रेणी "सी" के शहरी क्षेत्रों, एवं अवर्गीकृत श्रेणी के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त सेवा के अधिकारियों की राज्य के अन्तर्गत तैनाती पर उक्त शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 2019 अथवा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या–2/5/2017-EII(B) दिनांक 07 जुलाई, 2017 में उल्लिखित मकान किराये भत्ते की दरों में से जो भी दर अधिक हो वही अनुमन्य होगी।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सातवें वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मकान किराये भत्ते सम्बन्धी शासनादेश संख्या–2/5/2017-EII(B) दिनांक 07 जुलाई, 2017 की प्रति संलग्न है।

4. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07 जुलाई, 2017 की व्यवस्था दिनांक 01 जुलाई, 2017 से एवं प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था दिनांक 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्याः 166 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner